



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 29.05.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले 04 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल ₹1,09,000 /- के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2023 को वादी श्री विकास पुत्र स्व० महेश सैनी निवासी मौ० भूड तोल्लावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रवि कुमार पुत्र बाबू 2.मोहन पुत्र धर्मवीर 3.रोहित पुत्र कलवा व 4.अनुज पुत्र भूरे सिंह निवासीगण मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर आपस में झगड रहे थे, जिन्हे छुडाने का प्रयास किया तो इन्होने एक राय होकर वादी के भाई आकाश के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वादी के भाई आकाश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी । इस सम्बंध में थाना हल्दौर पर मु०अ०सं० 92/2023 धारा 302/323/504/34 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

कार्यवाही –

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.05.2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-04, जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 92/2023 धारा 302/323/504/34 भादवि व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्तगण 1.रवि कुमार पुत्र बाबू 2.मोहन पुत्र धर्मवीर 3.रोहित पुत्र कलवा व 4.अनुज पुत्र भूरे सिंह निवासीगण मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल ₹1,09,000 /- (एक लाख नौ हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.रवि कुमार पुत्र बाबू निवासी मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.मोहन पुत्र धर्मवीर निवासी मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.रोहित पुत्र कलवा निवासी मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4.अनुज पुत्र भूरे सिंह निवासी मौ० जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 29.05.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण कर 02 शातिर चोरों को चोरी किये गये सामान को बेचकर प्राप्त नगदी व अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री ताहर सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ट्यूबैल से लोहे का दरवाजा व चौखट चोरी कर ली है । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 17.03.2025 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम नगला हरदास थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के ट्यूबवैल से स्टार्टर व केबिल चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.05.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.तालिब उर्फ मस्ता पुत्र इरफान शाह निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी किये गये सामान को बेचकर प्राप्त नगदी सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त नौशाद के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस व अभियुक्त तालिब उर्फ मस्ता के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 176/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नौशाद व तालिब उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नौशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.तालिब उर्फ मस्ता पुत्र इरफान शाह निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये सामान को बेचकर प्राप्त 1750 /- रुपये

01 अवैध तमंचा 315 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू

अभियुक्त नौशाद का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 144/2016 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 373/2020 धारा 8/21/22 एनडीपीएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 372/2018 धारा 377/506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 146/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 102/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 337/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 176/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

अभियुक्त तालिब का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 285/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 700/2023 धारा 380/457/506/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 176/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज सिंह सोलंकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री मौ0 कय्युम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. कां0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5. कां0 2177 संदीप थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6. कां0 1273 सनुज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर